महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

कार्यवृत्त

विद्या परिषद् की 59वीं बैठक

दिनांक

11 अक्टूबर, 2019

स्थान

बृहस्पति भवन

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर
विद्या परिषद् की 59वीं बैठक

कार्यवृत्त

विद्या परिषद् की 59वीं बैठक दिनांक 11 अक्टूबर, 2019 को प्रातः 11.30 बजे बृहस्पति भवन स्थित प्रबन्ध बोर्ड कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए:-

1. प्रो. आर.पी.सिंह, कुलपति	अध्यक्ष
2. प्रो. लक्ष्मी ठाकुर, विभागाध्यक्ष, जनसंख्या अध्ययन	सदस्य
3. प्रो. मनोज कुमार, विभागाध्यक्ष, प्रबन्ध अध्ययन	सदस्य
4. प्रो. बी.पी. सारस्वत, विभागाध्यक्ष, वाणिज्य	सदस्य
5. प्रो. सुब्रतो दत्ता, विभागाध्यक्ष-रिमोट सेंसिंग एण्ड जियो-इन्फोरमेटिक्स	सदस्य
6. प्रो. भारती जैन, विभागाध्यक्ष, खाद्य विज्ञान एवं पोषण	सदस्य
7. प्रो. रीटा मेहरा, विभागाध्यक्ष, शुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायनशास्त्र	सदस्य
8. प्रो. शिव दयाल सिंह, संकायाध्यक्ष, समाज विज्ञान एवं विभागाध्यक्ष-अर्थशास्त्र	सदस्य
9. प्रो. नीरज भार्गव, विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर साईंस	सदस्य
10. प्रो. आशीष भटनागर, विभागाध्यक्ष, सूक्ष्मजीव विज्ञान	सदस्य
11. प्रो. प्रवीण माथुर, विभागाध्यक्ष, पर्यावरण अध्ययन	सदस्य
12. प्रो. अरविन्द पारीक, संकायाध्यक्ष, छात्र कल्याण एवं विभागाध्यक्ष-वनस्पतिशास्त्र	सदस्य
13. प्रो. सुभाष चन्द्र, विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र	सदस्य
14. डॉ0 सिस्टर पर्ल, प्राचार्य सोफिया कॉलेज, अजमेर	सदस्य
15. मोहम्मद इदरिश खान, प्राचार्य, स्टार इन्फोटेक कॉलेज, देवली जिला-टौंक	सदस्य
16. कुलसचिव	सदस्य-सचिव

निम्नलिखित सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके:-

1. अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर ।	सदस्य
2. आयुक्त, महाविद्यालय शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर ।	सदस्य

सर्वप्रथम माननीय कुलपति महोदय ने नवनियुक्त कुलसचिव तथा विद्या परिषद् के सभी सदस्यों का स्वागत किया एवं विश्वविद्यालय की प्रगति में सभी से रचनात्मक सहयोग की अपेक्षा की । तत्पश्चात् कुलसचिव को विद्या परिषद की कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु निर्देशित किया:-

मद	विवरण	अनुभाग/ विभाग
मद सं0 1	विद्या परिषद् की दिनांक 07.06.2018 को सम्पन्न हुई 58वीं बैठक के कार्यवृत्त (Minutes) की पुष्टि करना । उक्त कार्यवृत्त की एक प्रति सभी माननीय सदस्यों को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ. 13 (58) शैक्षणिक-I/मदसविवि/2018/14006-28 दिनांक 15.06.18 को प्रेषित की गई ।	शैक्षणिक-I
निर्णय	**पुष्टि की गयी ।**	
मद सं0 2	विद्या परिषद् की 58वीं बैठक दिनांक 07.06.2018 के कार्यवृत्त पर बिन्दुवार की गई कार्यवाही की अनुपालना रिपोर्ट (Action Taken Report) का अवलोकन कर अनुमोदन करना । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-1)**	शैक्षणिक-I
निर्णय	**अनुमोदन किया गया ।**	
मद सं0 3	प्रतिवेदन है कि माननीय कुलपति महोदय द्वारा विशेष शक्तियों का प्रयोग करते हुए विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों के अन्तर्गत संचालित समस्त पाठ्यक्रमों की वर्ष, 2017 में आयोजित परीक्षाओं में उत्तीर्ण रहे विद्यार्थियों को एवं अध्यादेश 0.124.17 (4) के प्रावधानान्तर्गत दिनांक 16.07.2017 से 15.07.2018 तक की शोधोपाधियों हेतु शोधार्थियों को प्रदान किये जाने वाले अनन्तिम प्रमाण-पत्र (Provisional Certificate) धारियों को संबंधित संकाय और शीर्षक के अनुसार उपाधि धारण करने की तिथि (ग्रेस पास) दिनांक 15.07.2018 निर्धारित की गई है । माननीय कुलपति महोदय के उक्त आदेश दिनांक 14.05.2018 विद्या परिषद् के समक्ष पुष्टि हेतु प्रस्तुत है ।	उपाधि
निर्णय	**पुष्टि की गयी ।**	

मद सं0 4	कोर्स कॉर्डिनेटर, मानव धर्म मेंटली रिटार्डेड टीचर ट्रेनिंग सेंटर, देवली जिला-टोंक ने अपने पत्र क्रमांक MDMRTTC/1826/DEO Dated 12-07-2018 के द्वारा B.Ed. SE (MR) कोर्स विशेष शिक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा को दीक्षान्त समारोह में पुरूस्कार देकर उच्च अध्ययन हेतु मनोबल बढ़ाने हेतु निवेदन किया है । अतः उक्त पुरूस्कार को आगामी सत्र से प्रारम्भ किये जाने पर विचार कर निर्णय करना ।	शैक्षणिक-I
निर्णय	**उक्त प्रस्ताव पर विचार-विमर्श के पश्चात् आगामी दीक्षान्त समारोह में उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा को मैडल प्रदान किये जाने का निर्णय किया गया ।**	
मद सं0 5	विश्वविद्यालय के निम्नलिखित संकायाध्यक्षों का कार्यकाल उनके नाम के सम्मुख दिनांक को समाप्त हो चुका है:- 1. संकायाध्यक्ष, महाविद्यालय — दिनांक 09.01.2019 2. संकायाध्यक्ष, स्नातकोत्तर अध्ययन — दिनांक 09.01.2019 3. संकायाध्यक्ष, वाणिज्य — दिनांक 09.01.2019 4. संकायाध्यक्ष, प्रबन्ध अध्ययन — दिनांक 09.01.2019 5. संकायाध्यक्ष, शिक्षा — दिनांक 09.01.2019 6. संकायाध्यक्ष, विज्ञान — दिनांक 30.07.2019 7. संकायाध्यक्ष, विधि — दिनांक 06.07.2019 (मृत्यु दिनांक 11.04.2019) 8. संकायाध्यक्ष, कला — दिनांक 11.06.2018 9. संकायाध्यक्ष, ललित कला — विगत लम्बे समय से रिक्त 10. संकायाध्यक्ष, पत्रकारिता एवं जनसंचार — विगत लम्बे समय से रिक्त 11. संकायाध्यक्ष, वैदिक अध्ययन — विगत लम्बे समय से रिक्त प्रकरण संख्या एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 14054/2014 प्रो. सर्वेश पालरिया बनाम महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर में माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर के दिनांक 30.01.2016 के आदेशों की अनुपालना एवं विश्वविद्यालय के अधिनियम एवं परिनियमों के प्रावधानान्तर्गत संकायाध्यक्षों की नियुक्ति माननीय कुलपति महोदय द्वारा प्रबन्ध बोर्ड के अनुमोदन के अध्यधीन रखते हुए विद्या परिषद् की सिफारिश पर की जानी है । अतः विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 के परिनियम 2 (2) के प्रावधानों के तहत उपरोक्त संकायाध्यक्षों की नियुक्ति किये जाने हेतु मद विद्या परिषद् के समक्ष विचार कर निर्णय करने हेतु प्रस्तुत है ।	शैक्षणिक-I

<table>
<tr>
<td>निर्णय</td>
<td>
मद में उल्लिखित संकायाध्यक्षों की नियुक्ति हेतु पूर्व प्रक्रिया अनुसार विद्या परिषद् की बैठक में उपस्थित सदस्यों को मतदान हेतु मत पत्र उपलब्ध कराया गया । प्राप्त मत पत्रों की गणना के परिणामों के आधार पर निम्नलिखित संकायाध्यक्षों को नियुक्ति किये जाने का निर्णय लिया गयाः-
<table>
<tr><td>1</td><td>संकायाध्यक्ष, महाविद्यालय</td><td>प्रो. शिव प्रसाद</td></tr>
<tr><td>2</td><td>संकायाध्यक्ष, स्नातकोत्तर</td><td>प्रो. भारती जैन</td></tr>
<tr><td>3</td><td>संकायाध्यक्ष, वाणिज्य</td><td>प्रो. बी.पी. सारस्वत</td></tr>
<tr><td>4</td><td>संकायाध्यक्ष, प्रबन्ध अध्ययन</td><td>प्रो. मनोज कुमार</td></tr>
<tr><td>5</td><td>संकायाध्यक्ष, शिक्षा</td><td>डॉ. नगेन्द्र सिंह</td></tr>
<tr><td>6</td><td>संकायाध्यक्ष, विज्ञान</td><td>प्रो. सुब्रतो दत्ता</td></tr>
<tr><td>7</td><td>संकायाध्यक्ष, विधि</td><td>डॉ. विभा शर्मा</td></tr>
<tr><td>8</td><td>संकायाध्यक्ष, कला</td><td>डॉ. डॉली दलेला</td></tr>
<tr><td>9</td><td>संकायाध्यक्ष, ललित कला</td><td>डॉ. गीतान्जलि वर्मा</td></tr>
</table>
संकायाध्यक्ष, पत्रकारिता एवं जनसंचार एवं संकायाध्यक्ष, वैदिक अध्ययन हेतु कोई भी नाम प्रस्तावित नहीं होने के कारण इनकी नियुक्ति नहीं की गयी ।
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>मद सं0 6</td>
<td>
माननीय कुलाधिपति महोदय के निर्देशानुसार अध्ययन बोर्डो/पाठ्यक्रम समितियों की बैठकें माह जनवरी, 2019 में आयोजित करवायी जानी थी । माननीय कुलाधिपति महोदय के निर्देशों की पालना में दिनांक 31 जनवरी, 2019 तक समस्त अध्ययन बोर्डो/पाठ्यक्रम समितियों की बैठकें आहूत की गयी । अतः निम्नलिखित अध्ययन बोर्डो/पाठ्यक्रम समितियों की उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक को सम्पन्न बैठकों की अनुशंषाओं पर विचार करने हेतु विद्या परिषद् के समक्ष प्रस्तुत है ।
माननीय कुलाधिपति महोदय के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय के समस्त पाठ्यक्रम दिनांक 15 जुलाई, 2019 तक विश्वविद्यालय की वैबसाईट पर अपलोड किये जाने थे । अतः तात्कालिक परिस्थिति में उक्त अध्ययन बोर्डो/पाठ्यक्रम समितियों की बैठकों की अनुशंषानुसार जिन पाठ्यक्रमों को यथावत रखा गया है ऐसे पाठ्यक्रमों को कुलसचिव महोदय के आदेश दिनांक 17.07.2019 के अनुसार विश्वविद्यालय की वैबसाईट पर अपलोड कर दिया गया तथा माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 20.09.2019 के अनुसार मुद्रणादेश जारी कर दिया गया । शेष अध्ययन बोर्डो/पाठ्यक्रम समितियों की अनुशंषानुसार यथावत पाठ्यक्रमों को विश्वविद्यालय की वैबसाईट पर अपलोड करने के कुलसचिव महोदय के
</td>
<td>शैक्षणिक-I</td>
</tr>
</table>

दिनांक 17.07.2019 के आदेश एवं माननीय कुलपति महोदय के उक्त यथावत रखे गये पाठ्यक्रमों को मुद्रित करने के आदेश दिनांक 20.09.19 की पुष्टि हेतु विद्या परिषद् के समक्ष प्रस्तुत है ।

क्र.सं.	संकाय का नाम	अध्ययन बोर्ड/ पाठ्यक्रम समिति का नाम	बैठक दिनांक	डीन समिति के आदेश की दिनांक	परिशिष्ठ
1	**विज्ञान संकाय**	सूक्ष्मजीव विज्ञान पाठ्यक्रम समिति	23.01.19	11.07.19	**2**
		भौतिकशास्त्र अध्ययन बोर्ड	19.01.19	11.07.19	**3**
		वनस्पति विज्ञान अध्ययन बोर्ड	19.01.19	11.07.19	**4**
		बायोटेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम समिति	23.01.19	11.07.19	**5**
		गृह विज्ञान अध्ययन बोर्ड	24.01.19	15.07.19	**6**
		पर्यावरण विज्ञान पाठ्यक्रम समिति	29.01.19	11.07.19	**7**
		खाद्य विज्ञान एव पोषण अध्ययन बोर्ड	21.01.19	15.07.19	**8**
		कम्प्यूटर एप्लीकेशन पाठ्यक्रम समिति	29.01.19	15.07.19	**9**
		अनुप्रयुक्त रसायनशास्त्र पाठ्यक्रम समिति	28.01.19	15.07.19	**10**
		रसायनशास्त्र अध्ययन बोर्ड	19.01.19	11.07.19	**11**
		कम्प्यूटर साईस एण्ड आई.टी. अध्ययन बोर्ड	28.01.19	11.07.19	**12**
		गणित अध्ययन बोर्ड	24.01.19	11.07.19	**13**
		प्राणीशास्त्र अध्ययन बोर्ड	30.01.19	11.07.19	**14**
2	**शिक्षा संकाय**	शिक्षा पाठ्यक्रम समिति	24.01.19	11.07.19	**15**

दिनांक 17.07.2019 के आदेश एवं माननीय कुलपति महोदय के उक्त यथावत रखे गये पाठ्यक्रमों को मुद्रित करने के आदेश दिनांक 20.09.19 की पुष्टि हेतु विद्या परिषद् के समक्ष प्रस्तुत है ।

क्र.सं.	संकाय का नाम	अध्ययन बोर्ड/ पाठ्यक्रम समिति का नाम	बैठक दिनांक	डीन समिति के आदेश की दिनांक	परिशिष्ठ
1	**विज्ञान संकाय**	सूक्ष्मजीव विज्ञान पाठ्यक्रम समिति	23.01.19	11.07.19	**2**
		भौतिकशास्त्र अध्ययन बोर्ड	19.01.19	11.07.19	**3**
		वनस्पति विज्ञान अध्ययन बोर्ड	19.01.19	11.07.19	**4**
		बायोटेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम समिति	23.01.19	11.07.19	**5**
		गृह विज्ञान अध्ययन बोर्ड	24.01.19	15.07.19	**6**
		पर्यावरण विज्ञान पाठ्यक्रम समिति	29.01.19	11.07.19	**7**
		खाद्य विज्ञान एव पोषण अध्ययन बोर्ड	21.01.19	15.07.19	**8**
		कम्प्यूटर एप्लीकेशन पाठ्यक्रम समिति	29.01.19	15.07.19	**9**
		अनुप्रयुक्त रसायनशास्त्र पाठ्यक्रम समिति	28.01.19	15.07.19	**10**
		रसायनशास्त्र अध्ययन बोर्ड	19.01.19	11.07.19	**11**
		कम्प्यूटर साईंस एण्ड आई.टी. अध्ययन बोर्ड	28.01.19	11.07.19	**12**
		गणित अध्ययन बोर्ड	24.01.19	11.07.19	**13**
		प्राणीशास्त्र अध्ययन बोर्ड	30.01.19	11.07.19	**14**
2	**शिक्षा संकाय**	शिक्षा पाठ्यक्रम समिति	24.01.19	11.07.19	**15**

		लाइब्रेरी एण्ड इन्फोरमेशन साईंस पाठ्यक्रम समिति	30.01.19	11.07.19	16
3	कला संकाय	हिन्दी अध्ययन बोर्ड	16.01.19	15.07.19	17
		राजस्थानी पाठ्यक्रम समिति	31.01.19	11.07.19	18
		अंग्रेजी अध्ययन बोर्ड	16.01.19	11.07.19	19
		उर्दू, अरबी एवं फारसी अध्ययन बोर्ड	16.01.19	11.07.19	20
		सिन्धी पाठ्यक्रम समिति	22.01.19	11.07.19	21
		दर्शनशास्त्र पाठ्यक्रम समिति	29.01.19	15.07.19	22
		संस्कृत अध्ययन बोर्ड	16.01.19	11.07.19	23
4	समाज विज्ञान संकाय	राजनीति विज्ञान अध्ययन बोर्ड	28.01.19	11.07.19	24
		इतिहास अध्ययन बोर्ड	17.01.19	15.07.19	25
		भूगोल अध्ययन बोर्ड	18.01.19	11.07.19	26
		जीवन विज्ञान एवं जैन दर्शन पाठ्यक्रम समिति	29.01.19	11.07.19	27
5	प्रबन्ध अध्ययन संकाय	व्यावसायिक अर्थशास्त्र पाठ्यक्रम समिति	30.01.19	15.07.19	28
		प्रबन्ध अध्ययन अध्ययन बोर्ड	22.01.19	11.07.19	29
		एंटरप्रिन्योरशिप पाठ्यक्रम समिति	28.01.19	15.07.19	30
6	विधि संकाय	विधि अध्ययन बोर्ड	22.01.19	11 07.19	31
7	पत्रकारिता और जनसंचार संकाय	पत्रकारिता पाठ्यक्रम समिति	29.01.19	11.07.19	32
8	वैदिक अध्ययन	योग एवं मानव चेतना	28.01.19	21 09.19	33

निर्णय

अध्ययन बोर्डो/पाठ्यक्रम समिति की अनुशंषाओं का अवलोकन कर निम्न प्रेक्षणों के साथ स्वीकार किया गयाः-

- **i.** **सूक्ष्म जीव विज्ञान पाठ्यक्रम समिति की बैठक दिनांक 23.01.2019 के कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या 03-बी की अनुशंषा को अस्वीकार करते हुए शेष अनुशंषाओं को स्वीकार किया गया ।**
- **ii.** **पर्यावरण विज्ञान पाठ्यक्रम समिति की बैठक दिनांक 29.01.2019 के कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या 02-बी की अनुशंषा को अस्वीकार करते हुए शेष अनुशंषाओं को स्वीकार किया गया ।**
- **iii.** **सिंधी पाठ्यक्रम समिति की बैठक दिनांक 22.01.2019 के कार्यवृत्त में अंकित बाह्य सदस्य के मनोनयन संबंधी अनुशंषा को अस्वीकार करते हुए शेष अनुशंषाओं को स्वीकार किया गया ।**
- **iv.** **अंग्रेजी पाठ्यक्रम समिति की बैठक दिनांक 16.01.2019 के कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या 03 की अनुशंषा को अस्वीकार करते हुए शेष अनुशंषाओं को स्वीकार किया गया ।**

मद सं0 7 — **शैक्षणिक-I**

माननीय कुलाधिपति महोदय के निर्देशानुसार अध्ययन बोर्डो/पाठ्यक्रम समितियों की बैठकें माह जनवरी, 2019 में आयोजित करवायी जानी थी एवं समस्त पाठ्यक्रम 15 जुलाई, 2019 तक विश्वविद्यालय की वैबसाईट पर अपलोड किये जाने थे । माननीय कुलाधिपति महोदय के निर्देशों की पालना में दिनांक 31 जनवरी, 2019 तक समस्त अध्ययन बोर्डो/पाठ्यक्रम समितियों की बैठकें आहूत कर आयोजित करने के प्रयास किये गये किन्तु निम्नलिखित अध्ययन बोर्डो/पाठ्यक्रम समितियों की बैठकें गणपूर्ति के अभाव में आयोजित नहीं हो पायी। अतः निम्नांकित अध्ययन बोर्डो/पाठ्यक्रम समितियों के निम्नांकित पाठ्यक्रमों को कुलसचिव महोदय के दिनांक 17.07.2019 के आदेशानुसार यथावत ही विश्वविद्यालय की वैबसाईट पर अपलोड कर दिया गया । माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 20.09.2019 की अनुपालना में निम्नलिखित पाठ्यक्रमों को सत्र 2018-19 के अनुसार यथावत ही सत्र 2019-20 की परीक्षाओं हेतु मुद्रित करने का कार्यादेश जारी किया गया । अतः कुलसचिव महोदय के दिनांक 17.07.2019 के उक्त आदेश एवं माननीय कुलपति महोदय के दिनांक 20.09.2019 के उक्त आदेश विद्या परिषद् के समक्ष पुष्टि हेतु प्रस्तुत है ।

क्र.सं.	अध्ययन बोर्ड/ पाठ्यक्रम समिति	पाठ्यक्रम का नाम
1	ABST	1. B.Com Pt. I, II & III 2. B.Com (Hons) Pt.I, II & III 3. M.Com ABST (P&F) Previous- 2019-20 & Final 2020-21

			4. Diploma in Steno Typing 5. Diploma in Cost & Work Accounts 6. P.G. Diploma in salesmanship & Marketing	
	2	Business Administration	1. B.Com Pt. I, II & III 2. M.Com Bus. Admin. (P&F) Previous- 2019-20 & Final 2020-21	
	3	EA&FM	1. B.Com Pt. I, II & III 2. M.Com EAFM (P&F) Previous- 2019-20 & Final 2020-21	
	4	Physical Education	1. B.P.Ed. Two Year 2. B.P.E. Pt. I, II & III	
	5	Public Administration	1. B.A. Pt. I, II & III 2. M.A. Public Admin.(P&F) Previous- 2019-20 & Final 2020-21	
	6	Sociology	1. B.A. Pt. I & III 2. M.A. Sociology (P&F) Previous- 2019-20 & Final 2020-21	
	7	Economics	1. B.A. Pt. I & III 2. B.A. (Hons)Pt. I & III 3. M.A. Economics (P&F) Previous- 2019-20 & Final 2020-21	
	8	Population Studies	1. B.A. Pt. I, II & III 2. M.A. Population Studies (P&F) Previous- 2019-20 & Final 2020-21 3. Master of Social Work	
	9	Music	1. B.A. Pt. I, II & III 2. M.A. Music (P&F) Previous- 2019-20 & Final 2020-21	

10	Drawing & Painting	1. B.A. Pt. I, II & III 2. M.A. D&P (P&F) Previous- 2019-20 & Final 2020-21
11	Earth Science Geology	1. B.Sc. Pt. I, II & III 2. M.Sc. Geology (P&F) Previous- 2019-20 & Final 2020-21
12	Remote Sensing & Geo-informatics	1. M.Sc. Remote Sensing & Geo-informatics (P&F) Previous- 2019-20 & Final 2020-21
13	Textile Chemistry	1. PG Diploma in Textile Chemistry
14	Psychology	1. B.A. Pt. I, II & III
15	Lab Technology	1. PG Diploma in Laboratory Technology & Instrumentation

निर्णय	**पुष्टि की गयी ।**	
मद सं0 8	माननीय कुलपति महोदय के दिनांक 09.09.2016 के आदेशानुसार कुलपति समन्वय समिति की बैठक दिनांक 21 जुलाई, 2016 के पृष्ठ संख्या 11 पर बिन्दु संख्या (iv) सामाजिक सरोकार के कार्य करने वाले विद्यार्थियों को पी.जी. प्रवेश में वरीयता के क्रम में निर्णय हुआ कि:- किसी विद्यार्थी द्वारा लगातार 3 वर्ष तक सरकारी अथवा सरकारी मान्यता प्राप्त ब्लड बैंक में रक्तदान करने पर 01 प्रतिशत का लाभांश, लगातार 3 वर्ष तक प्रतिवर्ष एक निरक्षर को साक्षर करने के साक्षरता विभाग द्वारा जारी प्रमाण-पत्र के आधार पर ½ प्रतिशत एवं लगातर 3 वर्ष तक अपने अध्ययन के उपरान्त सभी पाठ्य पुस्तकें कॉलेज के बुक बैंक में जमा कराने पर ½ प्रतिशत का लाभांश सम्बन्धित विद्यार्थियों को पी.जी. प्रवेश के दौरान प्रदान किये जाने की राज्य सरकार द्वारा प्रवेश नीति निर्धारित की जाकर क्रियान्वयन किया जा रहा है । अतः उपरोक्तानुसार इस विश्वविद्यालय में भी पी.जी. प्रवेश के दौरान राज्य सरकार की नीति के अनुरूप प्रवेश में वरीयता प्रदान किये जाने हेतु प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत है ।	**शैक्षणिक-II**
निर्णय	**प्रस्तावित प्रावधान को आगामी सत्र से लागू किये जाने का निर्णय लिया गया ।**	

मद सं0 9	सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, जयपुर के पत्र क्रमांक एफ 1 (30) आरबी/2018/5397 दिनांक 04 जुलाई, 2018 के द्वारा राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक एवं प्रशासनिक उत्कृष्टता के संबंध में जारी निर्देशों के बिन्दु संख्या 10 **"महात्मा गांधी की 150वीं जयन्ती पर समारोह कर आयोजन"** शीर्षक के तहत गांधी विचार दर्शन के समावेश हेतु एक पृथक पाठ्यक्रम/प्रश्न-पत्र अनिवार्य रूप से रखे जाने के निर्देश प्रदान किये गये है । अतः माननीय कुलाधिपति महोदय के निर्देशों की अनुपालनार्थ माननीय कुलपति महोदय के दिनांक 25.09.2019 के आदेशों की अनुपालना में प्रकरण उक्त पाठ्यक्रम/प्रश्न-पत्र के संकाय व अध्ययन बोर्ड/पाठ्यक्रम समिति के निर्धारण एवं आगामी शैक्षणिक सत्र से लागू करने के संबंध में विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।	शैक्षणिक-I
निर्णय	**निर्णय मद संख्या 10 पर अंकित है ।**	
मद सं. 10	संकायाध्यक्ष, समाज विज्ञान के द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में निम्नांकित नवीन पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के संबंध में दिनांक 03.10.2019 को प्रस्तुत प्रस्ताव माननीय कुलपति महोदय के दिनांक 03.10.2019 के आदेशानुसार विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है:- 1. बी.ए.-एल.एल.बी., बी.कॉम.-एल.एल.बी., बी.एससी.-एल.एल.बी. पंचवर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम । 2. बी.ए.-बी.एड., बी.कॉम-बी.एड., बी.एससी.-बी.एड. एकीकृत पाठ्यक्रम । 3. एल.एल.बी. त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम । 4. स्नातक पाठ्यक्रम में गांधीयन स्टडीज को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करना । गांधी जीवन और दर्शन पर अधिस्नातक पाठ्यक्रमों के लिए प्रस्तावित अनिवार्य पाठ्यक्रम संलग्न है । **(कार्य सूची का परिशिष्ठ-34)** 5. ललित कला में बी.एफ.ए/एम.एफ.ए. पाठ्यक्रम । 6. भूगोल स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम । 7. भू-गर्भ विज्ञान स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम । 8. सैण्टर ऑफ लेंग्वेजेज - डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स इन जर्मन, फ्रेंच, संस्कृत, हिन्दी एवं अंग्रेजी। 9. एम.ए. शिक्षा । उपरोक्त प्रस्तावित पाठ्यक्रमों की संकायों का निर्धारण करने एवं उपरोक्त पाठ्यक्रम नियमित पाठ्यक्रम के रूप में तथा स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम के	शैक्षणिक-I एवं शैक्षणिक-II

	रूप में संचालित करने के संबंध में विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है । संकायाध्यक्ष, समाज विज्ञान के द्वारा बी.ए. बी.कॉम. पाठ्यक्रम हेतु विश्वविद्यालय का संघटक महाविद्यालय प्रारम्भ करने का प्रस्ताव भी अपने उक्त प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत किया है जिसके क्रम में उक्त महाविद्यालय की स्थापना एवं महाविद्यालय प्रारम्भ करने का प्रकरण भी विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।	
निर्णय	**उक्त प्रस्ताव को निम्न प्रेक्षणों के साथ स्वीकार किया गयाः-** **i. बिन्दु संख्या 02 पर अंकित पाठ्यक्रमों को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की अधिसूचना दिनांक 20 नवम्बर, 2018 में अंकितानुसार चार वर्षीय एकीकृत शिक्षा कार्यक्रम (पूर्व प्राथमिक से प्राथमिक तक) एवं चार वर्षीय एकीकृत शिक्षा कार्यक्रम (उच्च प्राथमिक से माध्यमिक तक) के प्रावधानानुसार संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया ।** **ii. बिन्दु 04 पर अंकित पाठ्यक्रम को अनुमोदन प्रदान करते हुए इसी सत्र से समस्त संकायों में अनिवार्य पाठ्यक्रम के रूप में लागू किये जाने का निर्णय लिया गया । उक्त पाठ्यक्रम समाज विज्ञान संकाय के तहत राजनीति विज्ञान के अध्ययन बोर्ड को नियत (assign) किये जाने का निर्णय लिया गया ।** **iii. बिन्दु संख्या 08 पर अंकित पाठ्यक्रमों में प्रो. अरविन्द पारीक के प्रस्ताव पर विचार करके उर्दु पाठ्यक्रम भी सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया ।** **iv. उपरोक्त पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त प्रो. शिव दयाल सिंह, संकायाध्यक्ष-समाज विज्ञान संकाय के प्रस्ताव पर विचार करके बी.पी.एड एवं एम.पी.एड. पाठ्यक्रम का प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया ।** **v. प्रो. प्रवीण माथुर के प्रस्ताव पर विचार कर बी.ए. एवं एम.ए. संगीत पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया ।** **vi. संकायाध्यक्ष, समाज विज्ञान के प्रस्ताव पर बी.ए./बी.कॉम. पाठ्यक्रमों हेतु विश्वविद्यालय परिसर में संघटक महाविद्यालय प्रारम्भ किये जाने का निर्णय लिया गया ।**	
मद सं. 11	रूसा के तहत आर्थिक सहायता की हैंड बुक के Chapter-6, State Higher Education Plan के बिन्दु A. Prerequisites में h) Academic and Examination reforms में उपबिन्दु (i) Semester System और (ii) Choice Based Credit System लागू किये जाने	**शैक्षणिक-I**

	की अनिवार्यता है । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-35 व 36)** । Choice Based Credit System वर्तमान में एम.एससी सूक्ष्मजीव विज्ञान एवं एम. एससी. पर्यावरण विज्ञान में लागू है । राज्य रूसा कार्यालय के द्वारा बार-बार इसको अनिवार्यतः लागू किये जाने के लिए निर्देशित किये जाने के परिप्रेक्ष्य में नोडल अधिकारी, रूसा के द्वारा रूसा के निर्देशों के क्रियान्वयन हेतु प्रस्ताव विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।	
निर्णय	**आगामी सत्र से विश्वविद्यालय परिसर मे संचालित समस्त स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में Semester System और Choice Based Credit System को लागू किये जाने का निर्णय लिया गया ।**	
मद सं. 12	संयोजक, पाठ्यक्रम समिति एवं विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर साईंस विभाग के द्वारा एम.सी.ए.-प्रथम वर्ष में प्रत्येक विषय में विषयवार 40 प्रतिशत न्यूनतम उत्तीर्णांक एवं 50 प्रतिशत समग्र अंकों के साथ उत्तीर्ण होने के प्रावधान के स्थान पर प्रत्येक विषय में विषयवार 36 प्रतिशत न्यूनतम उत्तीर्णांक एवं 40 प्रतिशत समग्र अंकों के साथ उत्तीर्ण होने का प्रावधान सत्र 2018-19 से प्रभावी किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया । इस संबंध में लेख है कि एम.सी.ए. सत्र 2017-18 पाठ्यक्रम तथा एम.सी.ए. सत्र 2018-19 के पाठ्यक्रमों में स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में निम्नलिखित प्रावधान हैः- (ii) To pass a semester a candidate shall have to score 40% marks in each subject (Theory & Practical) seperatly and also 50% marks in aggregrate of all papers prescribed for examination. संयोजक, अध्ययन बोर्ड द्वारा प्रेषित हार्ड प्रिंट में उत्तीर्णांक में उक्त प्रस्तावित संशोधन किया गया है । उत्तीर्णांक में संशोधन के संबंध में विद्या परिषद् द्वारा अनुमोदित अध्ययन बोर्ड के कार्यवृत्त दिनांक 23.04.2018 में कोई उल्लेख नहीं किया गया है । प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।	शैक्षणिक-I
निर्णय	**प्रस्ताव को स्वीकार किया गया ।**	
मद सं. 13	प्रो. सुरेश मिश्रा, चेयर प्रोफेसर एवं कॉर्डिनेटर, सेंटर फॉर कन्ज्यूमर अफेयर्स, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, इन्द्रप्रस्थ स्टेट रिंग रोड, नई	शैक्षणिक-I

	दिल्ली के पत्र दिनांक 11 सितम्बर, 2019 के द्वारा प्रेषित युवा छात्र/छात्राओं में उपभोक्ता आंदोलन में भागीदारी एवं उपभोक्ता संबंधी मामलों के ज्ञान और कौशल के द्वारा सशक्तिकरण करने की आवश्यकता के मध्यनजर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति के द्वारा उपभोक्ता मामलों हेतु तैयार किये गये संलग्न मॉडयूल को विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में संचालित किसी भी संकाय के स्नातक पाठ्यक्रम/पाठयक्रमों में इलेक्टिव कोर्स के रूप में यथोचित रूप से अंगीकृत किये जाने हेतु विचार कर निर्णय करने हेतु विद्या परिषद् के समक्ष प्रस्तुत है **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-37)** ।	
निर्णय	**प्रस्तावित पाठ्यक्रम को आगामी शैक्षणिक सत्र से विश्वविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों में Choice Based Credit System लागू होने के पश्चात् लागू किये जाने का निर्णय किया गया ।**	
मद सं. 14	प्राचार्य, अभियान्त्रिकी महाविद्यालय, अजमेर के पत्र क्रमांक अमअ/2019/4479 दिनांक 01.10.2019 के द्वारा अभियान्त्रिकी महाविद्यालय, अजमेर (राज्य सरकार का स्वायत्तशाषी संस्थान) में महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय से स्व-वित्तपोषित आधार पर स्नातकोत्तर (गणित) पाठ्यक्रम की सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया है । प्राचार्य ने अपने पत्र में एम.एससी गणित पाठ्यक्रम की महाविद्यालय में आवश्यकता को इंगित करते हुए अंकित किया है कि- तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा भी पत्र क्रमांक 22 (2)(58)त.शि/2015 दिनांक 15-16.06.2016 द्वारा स्व-वित्तपोषित आधार पर स्नातकोत्तर (गणित) पाठ्यक्रम को महाविद्यालय में महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर की सम्बद्धता से शुरू करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जा चुका है **(कार्य सूची का परिशिष्ठ-38)** । अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर की 11वीं शाषी परिषद् (Board of Governors) की 02 मार्च, 2019 को हुई बैठक में Item No.11.11 (To consider and approve the proposal of commencement of postgraduate course in Mathematics in the college) को माननीय तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉ0 सुभाषजी गर्ग की अध्यक्षता में अनुमोदित भी किया जा चुका है । **(कार्य सूची का परिशिष्ठ-39)** प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।	**शैक्षणिक-II**
निर्णय	**उक्त प्रस्ताव को स्वीकार किया गया ।**	

मद सं. 15	विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र विभाग के द्वारा विश्वविद्यालय में प्राणीशास्त्र विभाग के तहत राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल के द्वारा अनुमति पश्चात् कौंसिल द्वारा संचालित पाठ्यक्रम Diploma in Medical Laboratory technology दो-वर्षीय पाठ्यक्रम को आगामी सत्र से स्व-वित्तपोषी पाठ्यक्रम के रूप में प्रारम्भ किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने बाबत् प्रस्तुत प्रस्ताव विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है । **(कार्य सूची का परिशिष्ठ-40)**	**प्राणीशास्त्र विभाग**
निर्णय	**उक्त प्रस्ताव को स्वीकार किया गया तथा पैरा मेडिकल कौंसिल से अतिथि शिक्षक इत्यादि के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश प्राप्त कर तदनुसार अग्रिम कार्यवाही करने हेतु विभागाध्यक्ष को निर्देशित किया ।**	
मद सं. 16	प्राचार्य, सोफिया कन्या महाविद्यालय, (स्वायत्तशाषी संस्थान) अजमेर के पत्र क्रमांक एसजीसीए /एमडीएसयू /ऑटो/ 2019-20/1293 दिनांक 04.10.2019 के द्वारा महाविद्यालय के प्रबन्ध बोर्ड की बैठक दिनांक 22.10.2018 एवं 07.09.2019 के द्वारा सत्र 2019-20 से महाविद्यालय में निम्नांकित पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने के संबंध में सूचित किया है:- 1. एम.ए. इतिहास 2. एकीकृत-एम.एससी (कम्प्यूटर साईंस) 4 वर्षीय 3. बी.कॉम (ऑनर्स) 4. फंक्शनल इंगिलश-स्नातक कला के विषय के रूप में महाविद्यालय प्राचार्य ने अपने पत्र में एकीकृत-एम.एससी (कम्प्यूटर साईंस) 4 वर्षीय के पाठ्यक्रम को विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 07 जून, 2018 में अनुमोदन प्रदान किये जाने का उल्लेख करते हुए उक्त पाठ्यक्रम के अध्यादेश, पात्रता इत्यादि अनुमोदित नहीं होने को दृष्टिगत रखते हुए कम्प्यूटर एप्लीकेशन की पाठ्यक्रम समिति के द्वारा तैयार करने एवं विद्या परिषद् के द्वारा अनुमोदन प्रदान किये जाने का अनुरोध किया है । इस संबंध में लेख है कि विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 07 जून, 2018 में कम्प्यूटर एप्लीकेशन की पाठ्यक्रम समिति की दिनांक 25.04.2018 के कार्यवृत्त को अनुमोदन प्रदान किया गया था । कार्यवृत्त में पाठ्यक्रम समिति द्वारा संस्तुत उक्त पाठ्यक्रम के साथ पाठ्यक्रम समिति के द्वारा पाठ्यक्रम से संबंधित अध्यादेश एवं पात्रता इत्यादि का प्रारूप प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण विद्या परिषद् के अनुमोदन के अभाव में उक्त पाठ्यक्रम लागू नहीं हो	**शैक्षणिक-I**

	सका । अतः विभागाध्यक्ष-कम्प्यूटर साईंस विभाग के द्वारा उक्त पाठ्यक्रम हेतु प्रस्तावित परीक्षा योजना एवं पात्रता इत्यादि से संबंधित अध्यादेशों का प्रारूप विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-40-A)**	
निर्णय	**पाठ्यक्रम की परीक्षा योजना एवं पात्रता इत्यादि से संबंधित अध्यादेशों को अनुमोदन प्रदान किया गया ।**	/
मद सं. 17	विद्या परिषद् की 58वीं बैठक दिनांक 07 जून, 2018 के कार्यवृत्त के मद संख्या 04 के तहत श्री जी.विश्वनाथप्पा, प्राचार्य क्षेत्रीय शिक्षण संस्थान, अजमेर का पत्र क्रमांक F-9-B-13/2015-16/377 Dated 23-04-18 जिसके द्वारा क्षेत्रीय शिक्षण संस्थान के एम.एड., बी.एड़., बी.एससी-बी.एड़. एवं बी.ए.-बी.एड़. के पाठ्यक्रमों में Semester CBCS (Choice Based Credit System) लागू करने के संबंध में निवेदन किया गया है, विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया था । विद्या परिषद् द्वारा क्षेत्रीय शिक्षण संस्थान के उक्त पाठ्यक्रमों में Semester CBCS (Choice Based Credit System) लागू करने को स्वीकार किया गया किन्तु उक्त निर्णय में लागू करने के सत्र का उल्लेख न होने एवं उक्त विद्या परिषद् की बैठक के मद संख्या 02 में शिक्षा पाठ्यक्रम समिति की बैठक दिनांक 12.05.2018 के कार्यवृत्त जिसमें शिक्षा पाठ्यक्रम यथावत रखे जाने की संस्तुति की गयी थी की पुष्टि किये जाने के कारण क्षेत्रीय शिक्षण संस्थान में शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम गतवर्षानुसार यथावत लागू है । इस संबंध में कुलसचिव द्वारा राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, जयपुर को पत्र क्रमांक एफ 13 ( ) शैक्ष-प्रथम/मदसविवि/2019/2876 दिनांक 15.02.19 के द्वारा एम.एड., बी.एड़., बी.एससी-बी.एड़. एवं बी.ए.-बी.एड़. के पाठ्यक्रमों में Semester CBCS (Choice Based Credit System) लागू करने के विद्या परिषद् के उक्त निर्णय में सत्र का उल्लेख नहीं होने के कारण प्रकरण माननीय कुलपति महोदय के आदेश पश्चात् विद्या परिषद् की आगामी बैठक में रखे जाने एवं विद्या परिषद् के निर्णय की पालना बाबत् सूचित किया गया है । अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में मद पर विचार कर निर्णय करना ।	**शैक्षणिक-I**

निर्णय	**Semester CBCS (Choice Based Credit System) को सत्र 2019-20 से लागू करने का निर्णय लिया गया ।**	

मद सं. 18 — **शैक्षणिक-II**

भारत का राजपत्र (The Gazette of India) दिनांक 22 नवम्बर, 2018 में प्रकाशित सदस्य सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचना दिनांक 20 नवम्बर, 2018 के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता मानदण्ड तथा क्रियाविधि) (संशोधन) विनियम, 2018 जारी किये गये हैं। इसमें राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद में (मान्यता मानक तथा प्रक्रिया) विनियम, 2014 (इसके बाद प्रमुख विनियम के रूप में संदर्भित होगा)

- (i) विनियम 9 में ''परिशिष्ठ 1 से परिशिष्ठ 15 तक'' :शब्द और अंकों के स्थान पर '' परिशिष्ठ 1 से परिशिष्ठ 17 तक'' के :शब्द और अंक होंगे।

-(ii) तालिका में क्रम संख्या 15 और उनसे सम्बन्धित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रम संख्याएं तथा प्रविष्टियां सम्मिलित की जायेंगी, जैसे -

क्र.सं.	**मानक एवं मानदण्ड**	**परिशिष्ठ संख्या**
''16	चार वर्षीय एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम (पूर्व-प्राथमिक से प्राथमिक तक	परिशिष्ठ -16
17	चार वर्षीय एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम (उच्च प्राथमिक से माध्यमिक तक)	परिशिष्ठ -17''

(कार्य सूची का परिशिष्ठ- 41)

अतः राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता मानदण्ड तथा क्रियाविधि) (संशोधन) विनियम, 2018 विश्वविद्यालय में लागू किये जाने के सम्बन्ध में प्रकरण मय सदस्य सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 20 नवम्बर, 2018 व भारत का राजपत्र (The Gazette of India) दिनांक 22 नवम्बर, 2018 की प्रति विद्या परिषद के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ रखे जाने हेतु प्रस्तुत हैं।

राज्य सरकार से उक्त पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में किसी प्रकार के दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं।

निर्णय	**राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 20 नवम्बर, 2018 के प्रावधानों को अंगीकृत एवं प्रवृत्त मान्य किये जाने का निर्णय लिया गया ।**	
मद सं. 19	प्रो. शिव प्रसाद के पत्र दिनांक 26.09.2019 **(कार्यसूची का परिशिष्ठ–42)** (जिसमें जे.एन.वी. विश्वविद्यालय, जोधपुर, एम.एल.एस. विश्वविद्यालय, उदयपुर एवं राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर की तरह ही इस विश्वविद्यालय कैम्पस की वार्षिक एवं सेमेस्टर परीक्षाएं भी विश्वविद्यालय परीक्षा विभाग की सारणी अनुरूप विभाग/संकाय/केन्द्र अनुसार आयोजित की जावे तथा उसी विभाग/संकाय/केन्द्र के विभागाध्यक्ष/अधिष्ठाता/निदेशक/प्रभारी परीक्षा केन्द्र अधीक्षक के रूप में कार्य करेंगे) में दिये प्रस्तावों पर विचार कर निर्णय करना ।	परीक्षा नियंत्रक
निर्णय	**प्रस्ताव को स्वीकार किया गया ।**	

बैठक के अंत में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापित किया गया ।

कुलपति

कुलसचिव